2023/10

1/8/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित
नहीं। न कोई प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली
में अथवा किसी तरह कोई उपस्थित नहीं।
पत्रावली अंतर्गत धारा 151 सपठित आदेश 9 नियम 8
सी.पी.सी. में खारिज
की जाकर पुनर्स्थापन हेतु आवेदन पत्र
पेश करावें।

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.02 11:39:07 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner